

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/198

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128	131/24	9/5/24	28/05/24 जावेद	23/5/24

अनवान

श्री प्रताप शं. मोरसिंह बंजारा श्री भावसिंह शं. लखार सिंह

निवासी गोवर्धनपुरा निवासी बंजारा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेष्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री पंज कुमार एच.एस.

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

पत्रावली

बनाम

श्रीव सिंह

किरम मुकदमा -

111-128

नम्बर

131

/2024

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

05
24
प्रार्थना पत्र सीमे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज
रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी
हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 23/05/2024 को पेश
हों।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता पार्थी उपस्थित।
विपक्षीयता बाद तामील अनुपस्थित। विपक्षीयता
के विरुद्ध छ - पक्षीय कोर्ट पारित किए
गए। पत्रावली वास्ते तलबी अधिवक्ता पार्थी
28/05/24 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

8/5/24 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता पार्थी
उपस्थित। पत्रावली में कोर्ट पारित
किए गए। तलबीलदार बिजौलियां को
तलबी जारी हो। पत्रावली फंसल शुमार
होकर नम्बर से कम होकर रजिस्टर
एवर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 131/24

तारीख दायर 9/5/24

प्रताप पुत्र मोरसिंह जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी गोर्धनपुरा
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।

.....प्रार्थी

बनाम्

भावसिंह पिता सरदार सिंह जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी
गोर्धनपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक 28/05/24

प्रार्थना पत्र प्रताप बंजारा ने जरिये अभिभाषक श्री पंकज धाकड
एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि
मौजा ग्राम बांका पटवार हल्का भोपतपुरा मे खाता संख्या 131 पर अंकित
आराजी संख्या 1179/366 रकबा 0.4856 हे0 भूमि स्थित है विपक्षीगण आये
दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश
प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर
विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया
गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से
प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकार है। पड़ौसियान के
विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर
कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया
कलां को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी
कमिश्नर फीस ~~500~~ 1000 रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त
पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम बांका पटवार हल्का भोपतपुरा मे खाता संख्या 131 पर अंकित आराजी संख्या 1179/366 रकबा 0.4856 हे० भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उप सपण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ बिजौलियाँवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 131/24

तारीख दायर 09/5/24

प्रेषिति :- तहसीलदार बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 131/24 पत्थरगढ़ी बाबत।

प्रताप पुत्र मोरसिंह जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी गोर्धनपुरा
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।

.....प्रार्थी

बनाम्

भावसिंह पिता सरदार सिंह जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी
गोर्धनपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है
मौजा ग्राम बांका पटवार हल्का भोपतपुरा मे खाता संख्या 131 पर
अंकित आराजी संख्या 1179/366 रकबा 0.4856 हे0 भूमि की
बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के
दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही
हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें।
आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया कलां को कमिश्नर
नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/-रूपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी
अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को
सूचित करते हुये पत्थरगढ़ी करें।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत
करे।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
बिजौलियाँ

